96

# न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक / 2016 विविध 9279- I-16

श्री ......... द्वारा आज दि. 7-12-16 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुधा नागेश्वर जामलकर पुत्री श्री नागेश्वर जामलकर भील निवासी ग्राम बन्हेर तहसील भगवानपुरा जिला खरगौन म.प्र.

.......आवेदिका

बनाम

म.प्र. शासन .... अनावेदक

**आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता , न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर ( श्री एम.के. सिंह ) द्वारा प्रकरण क्रमांक 4011/ 111/ 15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17.12.2015 एवं संशेधन आवेदन पत्र 9077/ 1/ 16 विविध में पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 में संशोधन किए जाने बाबत।**

महोदय,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1. यहकि, आवेदिका द्वारा अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि ग्राम नौहरी खुर्द तहसील व जिला शिवपुरी को विक्रय करने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2015 को प्रदान की गई थी। आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन प्रकरण क्रमांक 9077/1/16 प्रस्तुत किया था जिसमें आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा कंडिका 4 को विलोपित किया गया था तथ समयावधि भी बढाई गई थी।
2. यहकि, आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2016 के पालन में विक्रय विलेख संपादित कराने का प्रयास किया उसमें कठिनाईयां पैदा हो गई उसके बाद नवम्बर 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा नोट बंदी कर दी इसके कारण विक्रय पत्र संपादित कराने में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9279–एक/16 जिला – शिवपुरी

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8 .12.16 | आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित होकर आवेदन अंतर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. एवं धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 4011–तीन/15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–12–15 एवं संशोधन आवेदन पत्र 9077–एक/16 विविध में पारित आदेश दिनांक 06–06–16 में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है।<br>2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदिका की अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमि ग्राम नौहरी खुर्द तहसील व जिला शिवपुरी को विकय करने की अनुमति माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17–12–16 को प्रदाय की गई थी। आवेदिका द्वारा मान0 न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन प्रकरण कमांक 9077–एक/16 प्रस्तुत किया था जिसमें आदेश दिनांक 6.6.2016 द्वारा कंण्डिका 4 को विलोपित किया गया था तथा समयावधि भी बढाई गई थी। उनके द्वारा अपने आवेदन में लेख किया है कि आदेश दिनांक 6.6.16 के पालन में विकय विलेख संपादित कराने का प्रयास किया उसमें कठिनाईयां पेदा हो गई उसके बाद नंवम्बर 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा नोटबंदी कर दी इसके कारण विकय पत्र संपादित कराने में कठिनाईयां आ रही हैं। इसलिये उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आदेश में निम्न संशोधन किया जाना न्यायोचित होगा।<br>3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा रोशन कुमावत पुत्र भेरूलाल कुमावत एवं राहुल कुमावत पुत्र भेरूलाल कुमावत से विकय अनुबंध दिनांक 18.6. 2010 एवं सर्वे कमांक 321 का अनुबंध दिनांक 26.3.2011 को संपादित किया था जिसमें अग्रिम भुगतान किये जाने का अनुबंध किया था। | |

4– आगे अपने आवेदन में लेख किया है कि न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.15 की कंण्डिका 1 में निम्न अनुसार संशोधन किया जाना आवश्यक है:–

अ –कण्डिका 1 में केता अनुबंध अनुसार पूर्व में भुगतान की गई राशि को कम कर शेष राशि रजिस्ट्री के समय चैक द्वारा भुगतान की शर्त पर तथा गाइड लाईन अनुसार स्टाम्प डयूटी देने की शर्त पर बढ़ाया जावे।

ब –कंण्डिका 3 में 6 माह की अवधि पुनः बढ़ाई जावे। उनके द्वारा अनुरोध कर आवेदन पत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

5– आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार कर केता अनुबंध अनुसार पूर्व में भुगतान की गई राशि को कम कर शेष राशि रजिस्ट्री के समय चैक द्वारा भुगतान की शर्त पर तथा गाईड लाईन अनुसार स्टाम्प डयूटी देने की शर्त स्वीकार की जाती है। कंण्डिका 3 में 6 माह की अवधि पुनः बढ़ाई जाती है। विविध प्रकरण निराकृत किया जाता है।

सदस्य